

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-144/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमति सुमन देवी पुत्री श्री लालचन्द, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर का उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. स.	नाम कर्मचारी	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	कुल अवधि	अवकाश का प्रकार
1	सुमन देवी	11.01.2017	25.01.2017	15	43	असाधारण अवकाश
2		13.04.2017	10.05.2017	28		असाधारण अवकाश

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उगभोग किये गये 13 दिवस असाधारण अवकाश की उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

-sd -

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 26-6-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-144/2018/867

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
2. श्रीमति सुमन देवी पुत्री श्री लालचन्द, नर्स-2, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रादली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर